कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल,मध्यप्रदेश

कमांक/ 94/अजिद/2020 भोपाल,दिनॉक 10/07/2020

// संशोधित आदेश //

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल के दिशा निर्देश पत्र कमांक/204/2020/सी–1 भोपाल,दिनॉक 09.07.2020 में उल्लेखित है कि कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि आमजन सोशल डिस्टेसिंग रखें तथा फेस कवरिंग का पालन करें । यह देखने में आया है कि अनेक शहरों में रविवार के दिन प्रायः शहर के विभिन्न भागो में अत्यधिक भीड़ हो जाती है तथा आवश्यक सावधानियॉ नही बरती जाती । कोविड संकमण को नियंत्रित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोगों को घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के लिंए हतोत्साहित किया जाए । इसके लिए संपूर्ण अथवा आंशिक रूप से बाजार को बंद करना,धारा 144 लागू करना तथा भीड़ को नियंत्रित करने के अन्य उपाय भी शामिल हो सकते है ।

2/– उक्तानुसार भोपाल जिले की परिस्थिति को देखते हुये कार्यालयीन आदेश कमांक/1748/अजिद/2020 भोपाल,दिनॉक 01.07.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये मै **अविनाश लवानिया, जिला मजिस्टेट्र भोपाल** एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूॅ :–

3.1 तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक आने वाले समस्त रविवार को प्रातः 05.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रविवार कर्फ्यू लगाया जाता है ।

3.2 कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकलेगा ।

3.3 यह आदेश सॉची पार्लर/मेडीकल स्टोर/हॉस्पिटल/इमरजेंसी सेवाओ एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियॉ,राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाइवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन/परिवहन,लोडिंग/अनलोडिग कार्य,व्यक्तियों के एयरपोर्ट,रेल्वे स्टेशन,बस स्टेण्ड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नही होगा

4/– रात्रि कर्फ्यू रात्रि10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक शर्तो के अधीन पूर्ववतः जारी रहेगा ।

5/– यह आदेश शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं होगा ।

6/– यह आदेश भोपाल जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नही है । अतः सार्वजनिक माध्यमों,इलेक्ट्रानिक मीडिया,समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है ।

7/– इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भ0द0सं0की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होगें ।

8/– यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन–साधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है अतः द0प्र0सं0की धारा 144(2)के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है ।

9/– यंह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से भोपाल नगर सीमा क्षेत्रों में दी जावे एवं आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर,पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जावे ।

आज दिनांक 10/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

पृष्ठा0क्र0/ 195/अजिद/2020 भोपाल, दिनांक 10/07/2020

प्रतिलिपि :–**सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।**

1– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,गृह/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल

2– आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल

3– अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक,भोपाल झोन भोपाल

4– पुलिस उप महानिरीक्षक,शहर रेंज भोपाल ।

5– आयुक्त,नगर पालिक निगम भोपाल

6– समस्त एस0डी0एम0/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी,(पुलिस) भोपाल ।

7– केन्द्र निदेशक,आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल ।

8– उप संचालक,संभागीय जनसम्पर्क भोपाल ।

9– प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहांगीराबाद भोपाल की ओर 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल